अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर

सूचना

निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–483 दिनांक–05.11.2018 के आलोक में सूचित किया जाता है कि संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–375, दिनांक–13.08.2018 के प्रभाव से ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. प्रशिक्षण सत्र 2018–20 हेतु नामांकन पर रोक लगा दी गई थी। वर्णित परिस्थिति में उक्त पत्र के कार्यान्वित होने से पूर्व निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–347 दिनांक–30.07.2018 के आधार पर ऐसे सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा लिए गए नामांकन को रद्द मानते हुए उनसे प्राप्त निर्धारित शुल्क एवं जमा कागजात अविलंब उन्हें वापस करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त के आलोक में नामांकित अप्रशिक्षित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि वे महाविद्यालय से अपना जमा कागजात अविलंब वापस लेते हुए अपना बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड महाविद्यालय में जमा कर दे ताकि उनके द्वारा जमा निर्धारित शुल्क उनके बैंक खाता में वापस किया जा सके।

प्रमिला कुमारी
6.11.18

प्राचार्य

06/11/18